

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 60 /2021


दिनांक : 11.01.2021

श्री सुशील कुमार शर्मा (RJ0273), न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बून्दी को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं :-

01. दिनांक 09.11.2020 से 13.11.2020 तक 05 दिवस उपाजित अवकाश दिनांक 08.11.2020 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित ।
02. दिनांक 14.11.2020 से 27.11.2020 तक 14 दिवस रूपान्तरित अवकाश दिनांक 28.11.2020 से 30.11.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित।

श्री शर्मा की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ;

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बून्दी के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से

11.1.2021


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/96/1996/१16

दिनांक : 11.01.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बून्दी को उनके पत्रांक 161 दिनांक 14.12.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्री सुशील कुमार शर्मा (RJ0273), न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बून्दी ।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी ।


सहायक रजिस्ट्रार